International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारतीय समाज में मानवाधिकार

डॉ0 असलमा परवीण
शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
aslama786parween@gmail.com
Mob-9234450203

सारांश

यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन के रुप में मानव अधिकारों का संरक्षण एवं उन्नयन उसके अन्य प्रयोजनों पर आश्रित है। मानव अधिकार के उन्न्यन के विषय में प्रगति को संयुक्त राष्ट्र के इन प्रयोजनों की सिद्धि पर ही बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रों को अपने भाग्य का आप निर्माण करने दिया जाता है, राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में वे सहायता करते वहि जिनके पास अधिक है तब प्रत्येक मानव प्राणी के अधिकार को फलने–फूलने का अवसर होगा। संयुक्त राष्ट्र इन अधिकारों को बढ़ाने की प्रक्रिया को गति देने में इन अधिकारों को महत्वपूर्ण बनाने में एक भूमिका अदा कर सकता है।

प्रस्तावना

मानवाधिकार शब्द से आशय मानव के अधिकारों से है। यदि मानवाधिकार की अवधारणा के काल के बारे में विस्तार से विचार किया जाए तो निश्चित रुप से इसे सृष्टि के प्रारम्भ से मान लेना तर्कसंगत होगा। मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानवीय सुखों से है और सुख की अवधारणा को तभी से मानना श्रेयस्कर होगा जब से मानव जाति, समाज एवं राज्य का उदय हुआ है। कालक्रमानुसार मानव सुख का दायरा विस्तृत हुआ और यह समाज, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पल्लवित हुआ। बेबीलोनियम नियमों (Babylonian laws), बेबीलोन के हम्मूरावी (1792–1750 ई0 पू0) लैगास के कालीन (3260 ई0 पू0) के काल के दौरान भी मानवाधिकार का उल्लेख मिलता है।

देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभूता संपन्न धर्म–निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रुप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रुप में इसके इतिहास के परिणामस्वरुप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतभूर्क है। बोलने की आजादी के साथ–साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने–जाने की भी आजादी दी गई है।

मानवाधिकार शब्द को पूर्णतः समझने से पहले हमें 'अधिकार' शब्द को समझना होगा। अधिकार शब्द को परिभाषित करते हुए हैराल्ड लास्की ने कहा है – ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्यता कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।'' अतः मानवाधिकार के बारे में यह कहना सही होगा कि ऐसे अधिकार जिनके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता।

'मानवाधिकार' शब्द का प्रयोग इसकी सार्वभौम घोषणा होने के साथ ही 1948 में किया गया जो मूलतः अठारहवीं शताब्दी के मानव का अधिकार का पुनः प्रवर्तन कर बनाया गया।

मानवाधिकारों को लुइस बी0 साहेन ने अपनी पुस्तक "The New International law: Protections of the Rights of Individuals rather than of States" में तीन भागों में वर्गीकृत किया है।

प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकारः–

प्रथम पीढी के मानवाधिकारों में वे मानवाधिकार हैं जो चिरकाल से परम्परागत रुप में विद्यमान रहें हैं। सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसांतिदा में जिन मानव अधिकारों को सम्मिलित किया गया है उसका स्वरुप नया नहीं है।

ग्रीक के नगर राज्यों में भी इनका अस्तित्व था। मानव तथा नागरिक के अधिकार की फ्रांसीसी घोषण, मैग्नाकार्टा , स्वतन्त्रता की अमेरिकी घोषणा में भी इन अधिकारों का अस्तित्व पाया जाता है। चिरकालिक होने के कारण ही इन अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार की श्रेणी में लिए गया है।

द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकारः–

द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकारों के अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को जा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित है, लिया जाता है। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में समहित हैं जबकि सामाजिक एंव आर्थिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है।

तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकारः–

इसके अन्तर्गत सामूहिक अधिकार आते हैं। इन अधिकारों को अभी पूर्णतः विकसित नहीं का जा सकता। मानव के संयुक्त रुप से कुछ अधिकार होते हैं जो जनता और राष्ट्र के बड़े समुदाय के रुप में समूह का निर्माण करते हैं। ये अधिकार सामूहिक अधिकार हैं जिन्हें तृतीय पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। जो बड़े समुदाय के रुप में समूह बनाते हैं जिनमें जनता और राष्ट्र समाहित है। विकास का अधिकार, शान्ति का अधिकार एवं आत्मनिर्णय का अधिकार मूल रुप से तृतीय पीढी के अन्तर्गत आते हैं।

हमारा भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ मानवाधिकार आंदोलन का इतिहास उतार–चढ़ाव से युक्त रहा है। वैसे तो भारत में मानवाधिकार आंदोलन की जड़ें इसकी प्राचीन ऐतिहासिक रचनाओं एवं सामाजिक लोक जीवन की गतिविधियों में ढूँढ़ी जा सकती हैं। तथापि

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

इसकी आधुनिक एवं वास्तविक पृष्ठभूमि का निर्माण औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ। वस्तुतः इस काल खंडमें राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की समालोचना के अन्तर्गत इस बात पर ज़्यादा बल दिया गया कि अंग्रेजी शासन भारत में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए हम भारतीयों को उनकी स्वतंत्र अधिकारों से दूर रखना तथा वंचित रखना चाहते थे।

भारतीय समाज में राजनीतिक संसाधानों के समुचित एवं समान उपभोग के तमाम दावे के बावजूद तथा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्दन की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी भारतीय लोगों को सभी प्रकार की इच्छाओं, आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करने में विफल रहा है और मानवाधिकारों के हनन के कई मामले उठे हैं और यह आज भी जारी है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्राचीन वेदों में ना सिर्फ पूरी मानव जाति के जीवन के समान गुणवत्ता की बात की गई है, बल्कि परस्पर भातृत्व की भावना पर भी बल दिया गया है।

आधुनिक युग में भारत में मानवधिकारों आंदोलन के इतिहास की जड़ें औपनिवेशिक काल में ढूँढ़ी जा सकती हैं। सन् 1820 तक भारतीय समाज एवं लोगों का मानवाधिकारों के प्रति अच्छी तरह से सचेत नहीं हो पाए थे। औपनिवेशिक शासन का अमानवीय व बदसूरत चेहरा शनैः शनैः उजागर हो रहा था। ऐसे में कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने प्रकट एंव अप्रकट रुप में मानवाधिकारों के प्रति व्यापक जन जागरण का कार्य किया। यदि कुछ लोगों ने सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से यह कार्य किया तो कुछ नेताओं व समाज सुधारकों ने भारतीय लोगों कें प्रति अंग्रेजों द्वारा उदार दृष्टि अपनाए जाने की माँग की जैसे ब्रिटिश प्रशासन का भारतीयकरण एवं प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि।

पहले समूह के लोगों का मुख बल सामाजिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर रहा जबकि दूसरे समूह का मुख्य ध्येय ब्रिटिश भारत की सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र इन चार वर्णो में विभाजित भारतीय सामाजिक व्यवस्था में निचले दो वर्ण उत्पादक होते हुए भी शोषित थे। आगे चलकर जन्म के आधार पर अन्याय और शोषण और भी बढ़ गया।

विश्व के सुधारवादी आन्दोलनों से प्रभावित होकर भारत के नेताओं ने 1928 में नेहरु रिपोर्ट तथा करांची प्रस्ताव (कांग्रस अधिवेशन) में मानवाधिकारों की आवाज उठाई। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय की स्थापना और 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य आदि इसी परम्परा का सतत् विकास है।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने सदैव शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। यह संघर्ष मानव अधिकारों और मानवता के लिए संघर्ष था। इसमें केवल राजनीतिक आजादी की माँग ही नहीं, अपितु सामाजिक और आर्थिक आजादी की माँगें भी थी। स्वतन्त्र भारत के नीति निर्माताओं ने देश में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मानवाधिकारों का समर्थन करते हुए राज्य के लोक कल्याणकारी सिद्धांत को अपनाया है। सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक रुप से व्याप्त विषमता को कम करना, मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए अनिवार्य है।

संक्षेप में मानव अधिकार से मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत बुनियादी माने गए हैं। ये अधिकार मानव शरीर में अन्तर्निहित गरिमा और महत्व से निकालें गये हैं।

अधिकार के दावे का अंतिम विश्लेषण में यह अर्थ होगा कि ऐसा कार्य जो किसी अन्य के हित को अनुरुप न होगा।

इस बात पर प्राचीन भारतीय विधि शास्त्रियों और कतिपय आधुनिक विधिशास्त्रियों की विचारों में बड़ी समानता पायी जाती है। विधि की समाजशास्त्रियों विचारधारा की एक बड़े पश्चात चिंतक ड्यूगिट महोदय प्राइवेट अधिकारों के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। कॉमट की तरह उनका भी यह कथन है:

एकमात्र अधिकार जो किसी मनुष्य का हो सकता है, वह सदैव अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। किसी भी हैसियत में कार्य करने वाले व्यक्ति एक ही सामाजिक संगठन के भाग हैं और प्रत्येक को उसी लक्ष्य अर्थात सामाजिक समेकता की पूर्ति के लिए अपनी भूमिका निभानी होती है।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए और मूल, वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना है।

विश्व निकाय ने यह सब देखते हुए 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषण को अंगीकार किया वे ये हैं:–

मानव परिवार के सभी सदस्यों को अंतनिर्हित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति के आधार हैं।

यदि मनुष्य के अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रुप में विद्रोह का अवलंब लेने के लिए विवश नहीं किया जाना है। तो यह आवश्यक है कि मानव अधिकारों का संरक्षण विधिसम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिए।

सदस्य राज्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान जागृत करेंगे और उनका पालन कराऐंगे।

इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए:

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9Issue 3, March 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महासभा मानव अधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामान्य मानक के रुप में उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज की प्रत्येक अंग, इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रगामी उपायों के द्वारा, राज्यों के लोगों के बीच और उनकी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।

भारतीय समाज में मानवाधिकार को संगठित करने के लिए लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागृत करने के लिए समाज सुधारक ने बहुत काम किए।

1829 पति की मृत्यु के बाद रुढ़िवादी हिन्दू दाह संस्कार के समय उसकी विधवा के आत्मदाह की चली आ रही सती प्रथा को राजाराम मोहनराय के ब्रहम समाज जैसे हिन्दू सुधारवादी आंदोलनों के वर्षों प्रचार के पश्चात गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने औपचारिक रुप से समाप्त कर दिया।

1955– हिन्दूओं से संबंधित परिवार के कानून में सुधार ने हिन्दू महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान किए गए।

ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मावन अधिकार के प्रवर्तन को रोकने के लिए उत्तरदायी हैं। मानव अधिकारों के पालन में संप्रभूता की संकल्पना के लिए भी बाधा है।

संदर्भ ग्रंथः–

- योगेश कुमार त्यागीः थर्ड वर्ल्ड रेस्पोन्स टू ह्युमन राइट्स, पृ0 123
- ओ0 पी0 गौतमः ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, एन आर्टीकिल इन टूवार्ड राइट्स फ्रेमवर्क, पृ0 185
- विजय नारायण मीण त्रिपाठी, मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार।
- अरुण रायः भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पृ0 15
- हुसनेआरा खातुन बनाम बिहार राज्य, ए0 आई0 आर0 1979, S.C. 1369
- J.J.R. Upadhaya: Human Rights , P.86
- गाविन्द बनाम मध्यप्रदेश राज्य A.I.R. 1975, S.C. 1378.
- राजगोपाल बनाम तमिलनाडू राज्य 6 एम0 सी0 632 (1994)
- कदरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य ए0 आई0 आर0 1981, S.C. 931
- A.I.R. 1980, S.C. 470